बजट 1999-2000

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	**पैरा 10** : 3 वर्षों के भीतर 100 प्राथमिकता वाले जिलों को शामिल करने के लिए "नाबार्ड" के साथ एक जल संभरण विकास निधि स्थापित की जाएगी। केन्द्रीय सरकार "नाबार्ड" को आवश्यक समतुल्य सहायता उपलब्ध कराएगी।	भागीदारी प्रयत्नों से 100 प्राथमिकता वाले जिलों में एकीकृत जल-संभरण विकास के उद्देश्य से ""नाबार्ड "" में अब 200 करोड़ रुपए की कुल कार्पस के साथ एक जल संभरण विकास निधि की स्थापना कर दी गई है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
2.	**पैरा 10** : जल प्रबंधन में किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वृद्धिकारी जल दर संग्रहण से संबद्ध सभी पंजीकृत जल प्रयोक्ता संघों को एकमुश्त प्रबंधन आर्थिक सहायता तथा 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए आवर्ती सहायता केन्द्र द्वारा दी जाएगी। इससे राज्यों के अपने अंशदान की अनुपूर्ति होगी।	जल प्रबंधन में किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये 1.4.1996 से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और कृषक - संघों द्वारा क्रमशः 225 रु., 225 रु. और 50 रु. के अनुपात में पंजीकृत एवं कार्यशील जल-उपभोक्ता संघों को एकमुश्त कार्यात्मक अनुदान पहले ही प्रदान कर दिया गया है। यह प्रस्ताव है कि 9वीं योजना की शेष अवधि के दौरान इस स्कीम को इसके वर्तमान रूप में जारी रखा जाना चाहिए और 10वीं योजना के लिये इसके पुनर्गठन की कार्रवाई योजना आयोग के परामर्श से की जा सकती है। केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल न की गई बड़ी/मझोली/लघु सिंचाई परियोजनाओं में भागीदारी पूर्ण सिंचाई प्रबंधन की दूसरी केन्द्र प्रायोजित स्कीम की परिकल्पना कर ली गई है जिसे योजना आयोग द्वारा सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है। फिर भी इस स्कीम को चालू कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के पुनर्गठन के साथ संबद्ध किया गया है। अतः 10वीं योजना के दौरान इस पर आगे कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।
	पैरा 10 : महंगी सिंचाई परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और रख-रखाव को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र उन राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा, जो कम से कम परिचालन और अनुरक्षण लागत को शामिल करते हुए अपनी पानी की दरें युक्तिसंगत रखेंगे।	भागीदारी सिंचाई प्रबंधन पर एक मॉडल अधिनियम, जिसमें सिंचाई जल प्रबंधन में जल उपयोगकर्ता समूह के लिए एक वैधानिक और संगठनात्मक संरचना निहित है, को भी सभी राज्यों में परिपत्रित कर दिया गया है। कुछ राज्यों ने अपने सिंचाई अधिनियमों में संशोधन कर दिए हैं। इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई स्कीम को अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है।
3.	**पैरा 11** : आर.आई.डी.एफ.-V की संचित निधि 3000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपए की कर दी जाएगी। अदायगी की अवधि भी पांच से बढ़ाकर सात वर्ष की जा रही है। ग्राम-स्तर की आधारभूत संरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों, स्व-सहायता समूहों और अन्य पात्र संगठनों को ऋण प्रदान करने के लिए आर.आई.डी.एफ. को व्यापक बनाया जाएगा।	आर.आई.डी.एफ.- की स्थापना 3,500 करोड़ रुपए की "संचित निधि (कार्पस)"" से कर दी गई है। अदायगी की अवधि भी बढ़ा दी गई है। पंचायतों एवं स्व-सहायता समूहों को ऋण देने के लिए ""नाबार्ड "" ने भी निधियों का निर्धारण कर लिया है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
4.	**पैरा 11 :** आगामी वर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का दायरा 6 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किसान करना।	वर्ष 1999-2000 के लिए 20 लाख किसान क्रेडिट कार्डों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
5.	**पैरा 11 :** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ और पुनर्गठित करने हेतु उनके पुनःपूंजीकरण के लिए 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है।	168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था और यह धनराशि रिलीज कर दी गयी है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
6.	**पैरा 11 :** "नाबार्ड" और "सिडबी" इस दिशा में अपने प्रयासों को दुगुना करेगे और इस वर्ष के दौरान कम से कम 50,000 स्व-सहायता दलों को शामिल करेगे।	वर्ष 1999-2000 के लिए 50 हजार स्व-सहायता समूहों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
7.	**पैरा 11 :** खाद्य और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के लिए ऋण प्राप्ति बढ़ाने के लिए इस क्षेत्रक को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करना प्राथमिकता क्षेत्रक हेतु ऋण प्रदान करना माना जाएगा।	ऋण देने के प्रयोजनों के लिए कृषि प्रसंस्करण उद्योग को एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र मानने हेतु अनुदेश जारी कर दिए गये हैं। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
8.	**पैरा 12 :** मैं शीत-भंडारों और गोदामों के निर्माण हेतु एक नई ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूं। यह स्कीम, जो "नाबार्ड" की सहायता से कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, 12 लाख टन की अतिरिक्त शीत भण्डारण क्षमता सृजित करेगी और अगले वर्षों में मौजूदा इकाइयों को 8 लाख टन के भण्डारण तथा आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करेगी। हम प्याज भंडारण की 4.5 लाख टन क्षमता सृजित करने का भी प्रस्ताव रखते हैं।	जनवरी 2000 से इस स्कीम को चालू कर दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
9.	**पैरा 13 :** कृषि योग्य भूमि की चकबंदी न होने से भूमि का उत्पादक उपयोग कम हो पाता है। कुछ राज्य भूमि सुधार के इस महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान देने में पीछे रह गए हैं। इस दिशा में सुधारों की गति तेज करने के लिए केंद्रीय सरकार यह कार्य करने वाले राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करेगी।	भूमि जोतों की चकबन्दी की प्रगति की पुनरीक्षा करने और प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा अधिकारों एवं अधिकृत जायदाद नक्शों के सर्वेक्षण आंकड़ों/रिकार्ड को अद्यतन बनाने संबंधी मामलों की जांच के लिये ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति (एन.एल.सी.) का गठन किया गया है। एन.एल.सी. की पहली बैठक के दौरान इस समिति की सहायता के लिये एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज (ए.एस.सी.आई.), हैदराबाद को दस राज्यों में जोतों की चकबन्दी और भूमि दस्तावेजों के कम्प्यूटरीकरण का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। ए.एस.सी.आई. ने दस राज्यों में भूमि-दस्तावेजों के कम्प्यूटरीकरण और चकबन्दी की विस्तृत प्रगति का तत्स्थानिक अध्ययन कर लिया है। इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है। भूमि जोतों की चकबन्दी संबंधी राष्ट्रीय स्तरीय समिति शीघ्र ही भावी कार्रवाई का निर्धारण करेगी।

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
10.	**पैरा 15 :** अवक्रमित और बंजर भूमि के विकास की चालू स्कीमों को पुनः अनुकूल बनाया जाएगा ताकि स्थानीय स्व-सहायता समूहों और भूमिहीन गरीबों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों को प्रत्येक गांवों में ऐसी भूमि विकसित करने और उपयोग करने की सुविधा मिल सके। संपूर्ण कार्यक्रम ग्राम पंचायतों की मुख्य भूमिका के साथ उनकी प्रबंध भागीदारिता पर आधारित होगा। वर्ष 1999-2000 के दौरान हम उन राज्यों में जो बराबरी का अंशदान करने के लिए तैयार हैं, परीक्षण के आधार पर यह स्कीम प्रारंभ करने के लिए कुल 50 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करेंगे।	ग्रामीण क्षेत्रों में जल संमरण आधार पर बंजर भूमि के विकास के लिये स्व-सहायता समूहों भूमिहीन गरीबों, विशेषकर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की भागीदारी के लिए जल संभरण विकास - मार्गनिर्देशिकाओं में प्रावधान किया गया है। फिर भी, उन्हें अधिक संकेंद्रित एवं व्यापक आधार पर भागीदारी प्रदान करने और ग्राम पंचायतों को अधिक भूमिका प्रदान करने के लिए जल-संभरण विकास की मार्गनिर्देशिकाएं तैयार की जा रही हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान भूमि संसाधन विकास ने आईडब्ल्यूडीपी में जल-संभरण विकास के लिए 83 करोड़ रुपए की धनराशि रिलीज की हैं।
11.	**पैरा 16 :** ग्रामीण उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 100 ग्रामीण समूह स्थापित करने के लक्ष्य से ग्रामीण उद्योगीकरण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा।	वर्ष 1999-2000 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने 50, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने 25 और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 15 ग्रामीण बस्तियों को विकास के लिए चुना था। इनमें से खादी आयोग ने 12, सिडबी ने 6 और नाबार्ड ने 12 ग्रामीण समूहों में वर्ष के दौरान कार्य शुरु कर दिए हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 65 समूहों, सिडबी 14 समूहों और नाबार्ड 10 समूहों को विकसित कर रहे हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने 34, सिडबी ने 4 और नाबार्ड ने 7 समूहों में कार्यक्रम शुरु कर दिया है।
12.	**पैरा 17 :** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ऐसे गरीब वरिष्ठ नागरिक पर्याप्त रूप से नहीं आते जिनकी अपनी आमदनी नहीं है और गांव में उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1999-2000 में "अन्नपूर्णा" नामक एक नई स्कीम आरंभ की जाएगी।	इस स्कीम को 1 अप्रैल, 2000 से शुरू कर दिया गया है। लगभग 27 राज्यों के लिए 87.03 करोड़ रुपए रिलीज कर दिये गये हैं। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने के बाद अन्य राज्यों को निधियां रिलीज करने का प्रस्ताव है।
13.	**पैरा 17 :** केन्द्र सरकार ऐसी ग्राम पंचायतों को निधियां प्रदान करेगी जो अपने-अपने क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं स्थापित करने के लिए अपने अंशदान के साथ आगे आती हैं। संबंधित राज्य सरकार से भी समान सहायता प्राप्त होगी।	अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्र, राज्य और पंचायती राज संस्थाओं के बीच 40:40:20 के अनुपात में प्रस्तावित लागत साझेदारी फार्मूले के लिए सहमति नहीं दी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि इस स्कीम को 100% केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में चलाया जा सकता है।
14.	**पैरा 17 :** प्रत्येक वासस्थान जिसमें 1 किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय न हो, में एक प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षा गारंटी स्कीम कार्यान्वित की जाएगी।	एन.ई.एफ. की शिक्षा गारंटी स्कीम एवं वैकल्पिक एवं नई शिक्षा (ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई.) नामक संशोधित स्कीम का अब अनुमोदन कर दिया गया है। इस नई स्कीम की मार्ग निर्देशिकाएं अंतिम रूप से तैयार की जा रही हैं और सभी राज्यों/संघ राज्यों को इन्हें भेज दिया जायेगा। इस स्कीम का कार्यान्वयन सर्व शिक्षा अभियान के हिस्से के रूप में किया जाएगा।
15.	**पैरा 17 :** जवाहर रोजगार योजना की वर्तमान स्कीम यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित की जाएगी कि ग्रामीण आधारभूत संरचना सृजित करने के लिए सभी निधियां ग्राम पंचायतों के अधिकार में रखी जाएं। इस संशोधित स्कीम को "ग्राम समृद्धि योजना" कहा जाएगा।	जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन, सरलीकरण कर दिया गया है। और 1.4.1999 से इसका नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 1689 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज कर दी गई थी। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
16.	**पैरा 17 :** यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरी रोजगार स्कीम के अधीन रखी निधियों का व्यय चुनी गई पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से किया जाए यह प्रस्ताव किया जाता है कि सामान्य कार्यविधि के अनुसार जहां 80 प्रतिशत निधियां कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को जारी की जाएंगी वहां शेष 20 प्रतिशत निधि केवल तभी जारी की जाएगी अगर राज्य में चुनी गई और अधिकार प्राप्त पंचायती राज संस्थाएं मौजूद हैं।	रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) मंत्रालय का एकमात्र मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और संशोधित मार्गनिर्देशों में एक प्रावधान शामिल किया गया है कि बजटीय धनराशि का 20% प्रोत्साहन के रूप में रिलीज कर दिया जाएगा यदि राज्य ने निर्वाचित एवं उचित रूप से अधिकारिता प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया हो। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) के मामले में प्रोत्साहन के रूप में 20% केन्द्रीय हिस्से का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक आधार सुविधा स्कीम है और ग्राम पंचायतों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जाता है।
17.	**पैरा 17 :** गरीब ग्रामीणों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रमों की बहुलता के स्थान पर "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" नाम से एकल कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायतों की और अधिक भागीदारी होगी।	यह स्कीम 1 अप्रैल, 1999 को शुरू की गई थी। इस स्कीम की तरह के सभी पूर्व कार्यक्रमों को बन्द कर दिया गया है। वर्ष 1999-2000 में नई स्कीम के अन्तर्गत 946.76 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई थी। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
18.	**पैरा 17 :** घर, साफ-सफाई और पेयजल की एकीकृत व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हमारा एक व्यापक "समग्र आवास योजना" शुरु करने का प्रस्ताव है जिसमें इन्दिरा आवास योजना सहित मौजूदा कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा।	समग्र आवास योजना को 1999-2000 में 25 राज्यों एवं 1 संघ राज्य क्षेत्र के 26 ब्लाकों में शुरू किया गया था। वित्तीय वर्ष के दौरान 11 प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए 2.67 करोड़ रुपए की धनराशि रिलीज की गई थी। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
19.	**पैरा 19 :** बंधकशुदा आवास के लिए प्राथमिक और गौण बाजार का विकास करने हेतु यह आवश्यक है कि पुरोबन्ध और सम्पत्ति के हस्तान्तरण सम्बन्धी मौजूदा कानूनी उपबन्धों को सरल बनाया जाए। मेरा प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में संशोधनों के जरिए आवास क्षेत्रक में पुरोबन्ध कानूनों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं।	राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक को अब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
20.	**पैरा 19 :** आवास क्षेत्रक को बैंकिग निधियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह देगा कि वे अपनी वृद्धिशील जमाराशियों का 3 प्रतिशत तक आवास वित्त के लिए उधार दें ।	इस संबंध में अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
21.	**पैरा 19 :** राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण आवास वित्त स्कीम कार्यान्वित करने के लिए गत वर्ष एक लाख आवासीय इकाइयों के लक्ष्य की तुलना में 1999-2000 के दौरान, इस लक्ष्य को बढ़ाकर 1.25 लाख आवासीय इकाइयां करना।	बजट में की गई घोषणा के अनुसार बैंकों और आवास वित्त निगमों आदि द्वारा 1.25 लाख आवास यूनिटों का लक्ष्य निर्धारित एवं प्राप्त कर लिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
22.	**पैरा 19 :** राष्ट्रीय आवास बैंक ने एक स्कीम का प्रस्ताव किया है जिसमें छोटे उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरों में कमी करना शामिल है। यह स्कीम उन शहरों में लागू रहेगी	राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तैयार की गई स्कीम की जांच की गई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक को स्कीम में कुछ संशोधन करने की सलाह दी गई है।

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	जहां शहरी भूमि (हदबन्दी और विनियमन) अधिनियम लागू नहीं है। हम राष्ट्रीय आवास बैंक को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सहायता मुहैया कराएंगे। इस स्कीम के ब्यौरे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा घोषित किए जाएंगे ।	
23.	**पैरा 20 :** प्रत्येक वर्ष जारी म्यूनिसिपल बांडो की एक सीमित मात्रा को कर मुक्त दर्जा प्रदान करना।	म्यूनिसिपल प्राधिकरणों द्वारा जारी किए जाने वाले विनिर्दिष्ट बांडों से प्राप्त ब्याज की आय को वित्त अधिनियम 2000 छूट देता है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
24.	**पैरा 22 :** उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की पुनरीक्षा कर उसमें संशोधन किया जाएगा ताकि हमारा ध्यान मूल रुप से उद्योग के विनियमन के बजाय उसके विकास की ओर जा सके।	प्रशासनिक मंत्रालयों से यह जानकारी देने के लिए परामर्श किया जा रहा है कि क्या वह कोई ऐसे नियम, विनियम या अधिनियम लागू कर रहे हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ कुछ मदों के विनिर्माण के लिए एक आदेशात्मक प्रावधान की व्यवस्था करें। भारतीय उद्योग संघ ने भी विचार के लिए कुछ सुझाव दिए हैं।
25.	**पैरा 23 :** हमें अपना ध्यान एकाधिकारिक प्रणालियों पर रोकथाम की बजाय प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने की ओर देना होगा। सरकार ने इन सारे मुद्दों पर विचार करने और हमारी स्थितियों के अनुरूप एक आधुनिक प्रतिस्पर्द्धा कानून का प्रस्ताव करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है।	आधुनिक प्रतियोगिता कानून की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी और समिति की रिपोर्ट 22.5.2000 को माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की गई थी। समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सभी संबंधित से टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु इस विषय पर एक प्रस्तावित विधेयक उन्हें परिपत्रित किया गया था। टिप्पणियां प्राप्त हो गई है और मामला विचाराधीन है।
26.	**पैरा 25 :** सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम को मंजूरी दी है और यह अप्रैल, 1999 से लागू हो जाएगी। इसमें अगले पांच वर्षों के लिए वस्त्रोद्योग इकाइयों द्वारा वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से लिए गए ऋणों पर 5 प्रतिशत के पर्याप्त ब्याज प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाएगी। इसमें बुनकरी, बुनाई, प्रसंस्करण और फिनिशिंग इकाइयां, वस्त्र उत्पादन, रूई ओटना और प्रसंस्करण और जूट उद्योग शामिल होंगे। इस स्कीम का दायरा बढ़ाकर कताई उद्योग को भी शामिल किया जा रहा है।	यह स्कीम 1 अप्रैल, 1999 से चालू हो गई है। आई.डी.बी.आई., सिडबी और आई.एफ.सी.आई. को इस स्कीम के अन्तर्गत नोडल एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया गया है। उद्योगों को व्यापक सुविधा प्रदान करने के लिए उन्होंने अनेक वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और सहकारिता बैंकों, आदि को भी साथ मिलकर चुना है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
27.	**पैरा 26 :** विपणन के क्षेत्र में, मेरा एक नई समेकित हथकरघा संवर्धन स्कीम, "दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना" शुरु करने का प्रस्ताव है जिससे बुनकरों के लिए प्रसंस्करण सुविधायें, नई डिजाइन सामग्री और हथकरघा वस्त्रों के विपणन हेतु नये साधनों की प्राप्ति को प्रोत्साहन मिलेगा।	दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना का अनुमोदन अगस्त, 2000 में कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 30.8.2000 को यह स्कीम औपचारिक रूप से आरम्भ की गई है। यह 7 वर्ष की अवधि अर्थात् 2000-2001 से 2006-2007 तक चालू रहेगी। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
28.	**पैरा 29 :** लघु उद्योग के लिए सम्मिलित ऋण सीमा इस समय 2 लाख रुपए है जो बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाएगी।	रिजर्व बैंक ने बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
29.	**पैरा 29 :** लघु उद्योग इकाइंयों की कुल आय 4 करोड़ रुपए की बजाय 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। कार्यशील पूंजी सीमा वार्षिक आय का 20 प्रतिशत निर्धारित की जाएगी।	रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को परिपत्र जारी कर दिए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
30.	**पैरा 29 :** लघु क्षेत्रक तक बैंकों की पहुंच बढ़ाने के लिए, बैंकों द्वारा गैर बैंकिग वित्त कम्पनियों अथवा अन्य वित्तीय मध्यवर्ती कारोबारियों को आगे लघु क्षेत्रक को ऋण प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए ऋण प्रदान करने को बैंक ऋण प्रदायगी के प्राथमिक क्षेत्रक की परिभाषा में शामिल किया जा रहा है।	**कार्रवाई पूरी हो गई है।**
31.	**पैरा 31 :** हमारी अनुसंधान संस्थाओं के पास ऐसी नई वैक्सीनें विकसित करने की क्षमता है जो चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रणालियों के क्षेत्र में क्रान्तिकारी हो सकती हैं। इस प्रयास की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए हमारा वैक्सीनों के सम्बन्ध में एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।	वैक्सीन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना दिसम्बर, 1999 में की गई थी। आगे अनुवर्ती कार्रवाई चल रही है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
32.	**पैरा 32 :** जैव विविधता के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में नीतियों, अनुसंधान, प्रलेखीकरण और देश के अधिकारों के कानूनी संरक्षण के समन्वय के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जैव संसाधन बोर्ड (एन.बी.बी.) की स्थापना की जाएगी।	राष्ट्रीय जैव संसाधन विकास बोर्ड का गठन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। आगे अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
33.	**पैरा 33 :** बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम में इसके उपबन्धों को सुदृढ़ करने हेतु इसमें कतिपय संशोधन करने के लिए संसद के चालू सत्र में एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है।	बैंको और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 को संशोधित किया गया है और 27-3-2000 को सरकारी राजपत्र में इसे अधिसूचित करा दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
34.	**पैरा 33 :** सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समझौता सलाहकार समितियां गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि इस प्रकार के बहुत पुराने मामले, विशेषकर लघु क्षेत्रक से सम्बन्धित मामलों का समय पर और शीघ्रतापूर्वक निपटान हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक इस बारे में बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा।	**कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
35.	**पैरा 34 :** लदान-पूर्व और लदान-पश्च ऋण को अन्तर्राष्ट्रीय रुप से प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर उपलब्ध कराने और प्रक्रियाओं का बहुत अधिक सरलीकरण करने के लिए विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण की मौजूदा स्कीम में आमूल-चूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इस सम्बन्ध में ब्यौरों की अलग से घोषणा करेगा।	**कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
36.	**पैरा 34 :** किये गये अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि हमारे निर्यातकों को विदेशी व्यापार लाइसेंस प्रणाली, कर प्रणालियां	विदेशी व्यापार लाईसेंसिंग, कर प्रक्रियाओं और बैकिंग प्रणाली से संबंधित उच्च लेन-देन के रुप मे निर्यातकों द्वारा अनुभूत

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	और बैंकिंग प्रणाली से सम्बन्धित उच्चतर लेनदेन लागतों की बाधा का सामना करना पड़ता है। इस समस्या पर गहराई से विचार करने और ऐसे लेनदेन की लागतों में कमी लाने के लिए तीन महीने के भीतर ठोस सिफारिशें करने के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की जाएगी।	समस्याओं की जांच करने के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। समिति को लेन-देन लागतों में कमी लाने और कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुधारने के उपायों का सुझाव देना था और सिफारिशें करनी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसे अनुमोदित कर दिया गया है और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इसे संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। इस उच्च अधिकार प्राप्त समिति को उच्च अधिकार प्राप्त स्थाई समिति (एचपीएससी) में परिवर्तित कर दिया गया है। जिन विभिन्न एजेंसियों/ विभागों को उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करनी है वह उच्च अधिकार प्राप्त स्थाई समिति को समय-समय पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें जिसमें उनसे संबंधित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख किया जाएगा।
37.	**पैरा 34 :** एक नई स्वर्ण जमा योजना का प्रस्ताव चुनिंदा बैंको को सोना जमा करने और सब्याज प्रमाण पत्रों अथवा बाण्डों के जारी करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इनके परिपक्व हो जाने पर इन प्रमाण पत्रों अथवा बाण्डों के बदले सोना पुनः प्राप्त किया जा सकता है।	सरकार ने 14 सितम्बर, 1999 को स्वर्ण जमा स्कीम अधिसूचित की थी। इसके बाद इस स्कीम का कार्यान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जा रहा है। 9 फरवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम का संचालन भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीव बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया इन छः बैंकों द्वारा किया जा रहा है।
	स्वर्ण जमा बांडों/प्रमाण पत्रों से प्राप्त ब्याज को आयकर से और स्वर्ण जमा योजना में जमा की गयी परिसम्पत्तियों के मूल्य को धन कर से छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन स्वर्ण बांडों/प्रमाणपत्रों से व्यापार अथवा मोचन के जरिए प्राप्त पूंजीगत लाभों को पूंजीगत लाभ कर से छूट प्रदान की जाएगी। राज्य सरकारों से भी आग्रह किया जाएगा कि इस योजना के तहत शामिल किए गए स्वर्ण की आवाजाही को चुंगी, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क और इसी प्रकार की अन्य लेवी से छूट प्रदान करने के बारे में विचार करें। इस योजना से सभी प्रकार के सोने में छूट नहीं मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करेगा।	जमा सर्टिफिकेटों पर प्राप्त ब्याज को आयकर छूट दी जाती है, सोने के मूल्य में वृद्धि को पूंजी अनुलाभ कर से छूट दी जाती है और जमा पर संपत्ति कर से छूट दी जाती है। स्टाम्प शुल्क से स्वर्ण बाण्ड को छूट देने की अधिसूचना 6.11.2000 को जारी की गयी है।
38.	**पैरा 34 :** हम अनिवासी भारतीयों/समुद्रपारीय निगमित निकायों द्वारा किए जाने वाले 100 प्रतिशत तक के निवेश के सम्बन्ध में सभी मदों के लिए स्वतः स्वीकृति की सुविधा प्रदान करेंगे परन्तु इसमें वे मदें शामिल नहीं होंगीं जिन पर अधिसूचित	**कार्रवाई पूरी हो गयी है।**

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	एफ डी आई इक्विटी कैप्स लगता है अथवा जिन्हें औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अधिसूचित अनिवार्य लाइसेंसिंग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का संरक्षण प्राप्त है अथवा जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।	
39.	**पैरा 34 :** भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) से इस उद्देश्य हेतु इसके तौर तरीकों को तैयार करने के लिए कहा गया है।	**कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
40.	**पैरा 34 :** भारतीय म्युचुअल फंडों में अनिवासी भारतीयों के निवेश के सम्बन्ध में मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्रदान करने सम्बन्धी व्यवस्था को कार्योत्तर सूचना प्रणाली के रूप में सरल बनाया जाएगा।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक समर्थकारी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गयी है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
41.	**पैरा 35 :** ऋण बाजार को आधुनिक बनाने तथा इस क्षेत्र में कागजी कार्रवाई रहित लेनदेन आरंभ करने के उद्देश्य से भी सरकार जमा प्रणाली के अन्तर्गत ऋण दस्तावेजों के अन्तरण पर स्टाम्प शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव करती है।	वित्त विधेयक, 2000 के माध्यम से स्टाम्प शुल्क रहित प्रतिभूतियों से संबंधित धारा 8"क" को प्रतिस्थापित करके भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
42.	**पैरा 36 :** कंपनी प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु एक राष्ट्रीय पुरस्कार चालू करने का प्रस्ताव है।	**कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
43.	**पैरा 38 :** यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे बेईमान प्रमोटरों जो निवेशकों से धन जुटाकर उसका गलत उपयोग करते हैं, के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए "सेबी" तथा कम्पनी कार्य विभाग के बीच एक संयुक्त तंत्र की स्थापना की जाए।	कंपनी कार्य विभाग और सेबी के प्रतिनिधियों की एक समन्वय एवं मानीटरिंग समिति गठित की गयी थी। इस समिति ने 7 कार्य बलों का गठन किया है जिसमें सेबी कंपनी कार्य विभाग और शेयर बाजार के अधिकारी शामिल हैं। कार्यबल का उद्देश्य चूककर्ता कंपनी का पता लगाना और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना है। दिनांक 1.6.2000 को आयोजित अपनी बैठक में समिति ने यह निर्णय लिया कि ऐसी कंपनियों को गायब हो रही कंपनियों की सूची से हटा दिया जाएगा जो अपने दस्तावेज नियमित रूप से प्रस्तुत कर ही हैं और सेबी तथा शेयर बाजारों के सूचीकरण करार की सभी अपेक्षाओं का पालन कर रही हैं।
44.	**पैरा 39 :** केन्द्र सरकार के विभागों में आमेलन और उन्हें युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से चार सचिव स्तरीय पदों को समाप्त करना। इसे 1 अप्रैल, 1999 से लागू किया जाएगा।	दिनांक 28 फरवरी, 2000 के संकल्प द्वारा व्यय सुधार आयोग का गठन कर दिया गया है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
45.	**पैरा 39 :** सरकार की भूमिका तथा उसके प्रशासनिक ढांचे को कम करने की दिशा में इस प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे ले जाने के लिए एक प्रतिष्ठित तथा अनुभवी व्यक्ति की अध्यक्षता में व्यय सुधार आयोग का गठन करना।	**कार्रवाई पूरी हो गयी है।**

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
46.	**पैरा 39 :** मैं अगले बजट को तैयार करने में पुनर्मूल्यांकन (जीरो बेस) आधारित बजट प्रणाली बनाने का प्रस्ताव करता हूं।	सचिव व्यय विभाग द्वारा 9-11-1999 को जारी परिपत्र के आधार पर अधिकांश मंत्रालयों/विभागों में शून्य आधारित बजटिंग पर कार्य बल गठित कर लिए गये हैं। केन्द्रीय मानीटरिंग समूह ने सरकार के 50 विभागों के लिए शून्य आधारित बजटिंग की पुर्नरीक्षा कर ली है।
47.	**पैरा 39 :** पारदर्शिता को प्रोत्साहन देने तथा सरकार की आकस्मिक देयताओं में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए, सरकार ने 50 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि से एक गारंटी शोधन निधि की स्थापना करने का निर्णय लिया है। ऐसी ही निधियां स्थापित करने के लिए मैं सभी राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करता हूं।	गारण्टी मोचन निधि में अन्तरण के लिए 1999-2000 में 50 करोड़ रूपए की धनराशि का आवंटन किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2000-2001 में 125 करोड़ रूपए की धनराशि आवंटित की गयी है। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
48.	**पैरा 40 और 41 :** वर्ष 1999-2000 में विनिवेश कार्यक्रम के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे।	विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयर पूंजी की बिक्री से विनिवेश के 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाने के लक्ष्य की तुलना में 1999-2000 के दौरान विदेश संचार निगम लिमिटेड, गैस अथारटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,मॉडर्न फुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बाल्को (सिर्फ वित्तीय पुनःसंरचना) में विनिवेश के द्वारा लगभग 1829.24 करोड़ रूपए की धनराशि जुटाई गयी।
	सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के और उद्यमों को विनिवेश आयोग के पास उसकी महत्वपूर्ण सलाह लेने के लिए भेजेगी।	सरकार ने 72 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह के लिए विनिवेश आयोग के पास भेजा था, जिसमें से 8 वापस ले लिए गए थे। 6 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बीआईएफआर के मामले थे। **कार्रवाई पूरी हो गयी है।**
49.	**पैरा 42 :** ऐसे और भी उद्यम हैं जो मामूली मुनाफा अर्जित कर रहे हैं और जिन्हें चल सकने योग्य बनाए रखने के लिए उनकी जनशक्ति को घटाने की आवश्यकता है लेकिन ऐसे युक्तिसंगत कार्यों के वित्तपोषण हेतु इन उद्यमों के पास संसाधन नहीं हैं। सरकार ऐसे उद्यमों को बैंकों से सरकारी गारंटियों पर तथा ब्याज सब्सिडी से धन जुटाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के व्यय को पूरा करने के लिए सरकारी गारण्टी पर वित्तीय संस्थाओं/बैंको/संस्थाओं/जनता को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बाण्ड जारी करने को सरकार प्रोत्साहन देती आ रही है।
	पैरा 43 : सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने वाले कामगारों के लिए बांड जारी करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। सरकार ऐसे बाण्डों की पुनःअदायगी की गारंटी देगी और साथ ही ब्याज भुगतानों की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया जाएगा कि वह ऐसे कामगारों, जिन्हें सहायता की जरुरत है, को ऋण की स्वीकृति के संबंध में ऐसे बाण्ड सहवर्ती रूप में स्वीकार करने हेतु बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी करे।	

बजट 2000-2001

क्रम सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	**पैरा 10:** सभी चालू स्कीमों (आयोजना एवं आयोजना-भिन्न) को पूर्ण शून्य आधारित बजटीय संवीक्षा के अधीन रखा जाएगा। यह कार्य 8 विभागों में पूरा कर लिया गया है। शेष विभागों में यह प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।	सचिव, व्यय विभाग द्वारा दिनांक 9-11-1999 को जारी एक परिपत्र के आधार पर शून्य-आधारित बजट पर कार्यदल अधिकांश मंत्रालयों/विभागों में गठित कर दिया गया है। केंद्रीय मॉनीटरिंग दल ने सरकार के 50 विभागों में शून्य-आधारित बजट की समीक्षा पूरी कर ली है।
2.	**पैरा 10:** पदों के सृजन के मानदंडों की पुनरीक्षा के द्वारा सरकारी विभागों की जनशक्ति की आवश्यकताओं का पुनः आकलन किया जाएगा। सरकारी विभागों और संस्थानों में नई भर्ती को न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक सीमित रखा जाएगा।	इस मुद्दे पर गौर करने के लिए व्यय सुधार आयोग गठित किया गया है।
3.	**पैरा 10:** अतिरिक्त स्टाफ की पुनः तैनाती की स्कीम को अधिक कारगर बनाया जाएगा और उनके पुनः प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरप्लस पूल में रखें गए स्टाफ के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम भी शुरु की जाएगी।	व्यय सुधार आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ इस मुद्दे की जांच की और अपनी सिफारिशें दी हैं, जिनकी जांच प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा की जा रही है।
4.	**पैरा 10:** जहां भी संभव हो, लागत-आधारित उपभोक्ता शुल्क लगाने की दृष्टि से सभी सब्सिडी की पुनरीक्षा की जाएगी।	आर्थिक लागतों के अनुरुप उनके संशोधन की संभाव्यता की जांच करने की दृष्टि से भारत सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता शुल्कों की एक व्यापक सूची तैयार की जा रही है। वित्त मंत्री ने उन मंत्रालयों/विभागों के मंत्रियों को लिख दिया है, जिनके संबंध में व्यय सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ताकि सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कार्रवाई यथाशीघ्र की जा सके।
5.	**पैरा 10:** मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बिना किसी नई स्वायत्तशासी संस्थाओं का सृजन नहीं किया जाएगा। स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए बजटीय सहायता की पुनरीक्षा की जाएगी और उन्हें अधिक से अधिक आंतरिक उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।	नए स्वायत्तशासी निकायों के सृजन के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन अभी मांगा जा रहा हैं। इसे व्यय सुधार आयोग के विचार्थ विषयों में भी शामिल किया गया है।
6.	**पैरा 10:** विनिवेश आय का एक हिस्सा तापयी योग्य सरकारी ऋण के लिए निर्धारित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए का आरंभिक प्रावधान किया गया है।	**कार्रवाई पूरी हो गई है।**
7.	**पैरा 11:** सरकार का आकार छोटा करने के उद्देश्य पर कार्यवाही की जाएगी और इर प्रयोजन के लिए एक रुपरेखा तैयार की जाएगी। राजकोषीय घाटे के मध्यावधिक प्रबंध के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के माध्यम से एक सुदृढ़ सांस्थानिक कार्यतंत्र की व्यवस्था की जाएगी।	लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
8.	**पैरा 14:** ग्रामीण-आधार-सुविधा विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.)VI-की संचित निधि की राशि इस वर्ष बढ़ाकर 4500 करोड़ रुपए की जाएगी और इस ऋण पर प्रभारित ब्याज को आधा प्रतिशत कम किया जाएगा।	भारतीय रिजर्व बैंक ने आर.आई.डी.एफ.-VI गठित करते हुए दिनांक 30 जून, 2000 को आदेश जारी किया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
9.	**पैरा 14:** वित्त मंत्री के पिछले बजट में की गई घोषणाओं में "नाबार्ड" और "सिडबी" से सूक्ष्म उद्यम विकसित करने के लिए 50,000 स्व-सहायता समूहों को शामिल करने के लिए कहा गया था। "नाबार्ड" को वर्ष 1999-2000 के दौरान ऐसे 50,000 समूहों को बैंकों के साथ संबद्ध करना था। "नाबार्ड" और "सिडबी" वर्ष 2000-2001 के दौरान अतिरिक्त एक लाख समूहों को शामिल करेंगे।	"नाबार्ड" और "सिडबी" से प्राप्त दिनांक 31-12-2000 तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार "नाबार्ड" ने 51,789 स्व-सहायता समूहों को और "सिडबी" ने 11,906 स्व-सहायता समूहों को बैंकों के साथ संबंद्ध किया है। शामिल किए गए कुल समूहों की संख्या 62,885 थी।
10.	**पैरा 14:** सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम को और बढ़ावा देने के लिए "नाबार्ड" में भारतीय रिजर्व बैंक, "नाबार्ड" बैंकों और अन्यों से 100 करोड़ रुपए के आरंभिक अंशदान से एक सूक्ष्म वित्त विकास निधि सृजित की जाएगी।	"नाबार्ड" ने स्वयं अपने संसाधनों से 40 करोड़ रुपए के अंशदान से निधि सृजित कर ली है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
11.	**पैरा 14:** पिछले कुछ समय से मुख्यतः अत्यधिक नौकरशाही और राज्य सरकारों तथा "नाबार्ड" के अतिव्याप्ति क्षेत्राधिकार की वजह से सहकारी प्रणाली में समस्याएं उत्पन्न हो गई है। कुछ राज्य सरकारों ने सहकारी संस्थाओं को यथार्थ रुप से प्रोत्साहन देने के लिए पहले ही वैधानिक कार्रवाई शुरु कर दी है। ग्रामीण ऋण के लिए बैंकिग मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक और "नाबार्ड" की पर्यवेक्षणीय भूमिका की स्पष्ट रुपरेखा तैयार करना भी अनिवार्य है। अधिक गतिशील ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली हेतु इन दो पूर्व अपेक्षाओं को प्रोत्साहन देने के लिए "नाबार्ड" में एक निधि की स्थापना करना प्रस्तावित है, जिसका ब्यौरा सरकार द्वारा पहले गठित कपूर समिति की आने वाली सिफारिशों के दृष्टिगत तैयार किया जाएगा। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने उन सहकारी संस्थाओं, जिनका पूर्ण नियंत्रण प्रयोक्ता-सदस्यों द्वारा और विवेकसममत तरीके से उनके द्वारा उसका प्रबंध किया जाता है, की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए बैंकों को सुझाव दिया है।	कपूर समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसपर कार्रवाई की जा रही है। राज्य के सहकारिता मंत्रियों और सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां इस रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी।
12.	**पैरा 14:** सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों और वाणिज्यिक बैंकों ने अभी तक मिलकर कृषकों के लिए 50 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। "नाबार्ड" और वाणिज्यिक बैंकों से मार्च, 2001 तक अतिरिक्त 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए अपने संवर्धनात्मक प्रयासों को दुगुना और तेज करने के लिए कहा जाएगा।	दिनांक 31-12-2000 तक प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों ने मिलकर 49.51 लाख कार्ड जारी किए थे।
13.	**पैरा 14:** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूंजीकरण संबंधी हमारे प्रयासों के कारण 158 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रचालन मुनाफे दिखा रहे हैं। इनमें से 48 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक अपने संचित घाटों को समाप्त करने में सफल हुए हैं। ग्रामीण वित्तपोषण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्व को देखते हुए इन्हें सुदृढ़ करने के इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।	सामान्य बचतों, जिनका पूर्वानुमान है, में से आयोजना के अधीन 200 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया जा सकता है।

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
14.	**पैरा 16:** विभिन्न पहलुओं की जांच करने और सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए भूमि प्रयोग नीति पर संगत क्षेत्रों के विशेषज्ञों वाला एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाएगा।	भूमि उपयोग नीति पर राष्ट्रीय आयोग के गठन की कार्रवाई शुरु कर दी गई है।
15.	**पैरा 19:** राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनःसशक्त बनाया जाएगा ताकि वर्ष 2005 तक साक्षरता दर 75 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सके।	पुनः सशक्त राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और नई योजना शुरु कर दी गई है।
16.	**पैरा 19:** हमारा उद्देश्य अगले पांच वर्षों में सभी ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वर्ष 2000-2001 में लगभग 60,000 बस्तियों और 30,000 विद्यालयों को शामिल करने का प्रस्ताव है।	राज्य-वार लक्ष्य नियत कर लिए गए हैं। राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत अद्यतन जानकारी के अनुसार वर्ष 2000-2001 के दौरान पेयजल आपूर्ति सुविधाओं से 2779 नहीं शामिल की गई बस्तियों, 25891 आंशिक रुप से शामिल बस्तियों और 3089 ग्रामीण विद्यालयों को शामिल किया गया है।
17.	**पैरा 20:** प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना नामक नई योजना के अधीन, विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय दिशानिर्देश निर्धारित करेंगे और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करेंगे। पूर्व बुनियादी न्यूनतम सेवा योजना का इस नई योजना के साथ विलय कर दिया जाएगा।	"प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना" के लिए 5000 करोड़ रुपए का एकमुश्त प्रावधान किया गया है। इसमें से ग्रामीण सड़कों को 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है और शेष 2500 करोड़ रुपए प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, आश्रयस्थल, पेयजल और पोषाहार जैसे कार्यक्रमों के लिए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण सड़कें) को प्रचालित कर दिया गया है। इस संबंध में एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नामक कार्यक्रम 25 दिसम्बर, 2000 को शुरु कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2003 तक 1000 से अधिक की आबादी वाली सभी ग्रामीण बस्तियों और वर्ष 2007 तक 500 से अधिक की आबादी वाले को सभी मौसमों में चालू रहने वाली सड़कों के जरिए जोड़ना हैं। और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से संबंधित आवश्यक मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं। "ग्रामीण आश्रयस्थल" के लिए दिशानिर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में निधियों के नियोजन और उपयोग के लिए दिशानिर्देश भी सभी राज्यों को दिनांक 21 जुलाई 2000 को परिचालित किए गए हैं। डी.डबल्यू.एस. के लिए संशोधित (सरलीकृत) दिशानिर्देश दिनांक 3-11-2000 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए जा चुके हैं। पीएमजीवाई के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की पहली छमाही किस्त राज्यों को रिलीज कर दी गई है। प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र के लिए दिशानिर्देश सभी राज्यों को परिचालित किए गए हैं।

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
18.	**पैरा 21:** इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए 12 लाख से अधिक घरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।	ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पुष्टि की है कि चालू वर्ष के लिए इंदिरा आवास योजना के लिए लक्ष्य 12.44 लाख आवासीय इकाइयों का है।
19.	**पैरा 21:** उन परिवारों के लिए, जिनकी वार्षिक आय 32,000 रुपए प्रतिवर्ष से कम है, ऋण-सह-आर्थिक सहायता योजना के अधीन 1 लाख घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।	ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ऋण-सह-आर्थिक सहायता योजना के लिए चालू वर्ष का लक्ष्य 1.09 लाख आवासीय इकाइयां हैं।
20.	**पैरा 21:** राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ग्रामीण स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अधीन 1.5 लाख घरों के निर्माण के लिए बैंकों और आवास वित्त कंपनियों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराएगा।	राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विभिन्न बैंकों को लक्ष्य वितरित कर दिए गए हैं। 1,03,500 के दो तिमाही लक्ष्यों की तुलना में दिसम्बर 2000 तक की उपलब्धि 78,095 है।
21.	**पैरा 21:** इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान "हुडको" को 100 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। "हुडकों" इस प्रकार इन निधियों को बढ़ाने और वर्ष 2000-2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 9 लाख घरों के निर्माण के लिए वित्त प्रदान करना सुविधाजनक बनाने हेतु और संसाधन बढ़ाने योग्य होगा।	वर्ष 2000-2001 के लिए "हुडकों" को इक्विटी शेयर के रुप में 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
22.	**पैरा 22:** जनश्री बीमा योजना शुरु की जाएगी जिसके अधीन लाभार्थियों को स्वाभाविक मुत्यु की स्थिति में 20,000 रुपए, दुर्घटनावश मुत्यु अथवा पूर्ण स्थायी विकलांगता के मामले में 50,000 रुपए और दुर्घटनावश आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 25,000 रुपए का बीमा कवच दिया जाएगा।	जनश्री बीमा योजना दिनांक 10 अगस्त, 2000 से जीवन बीमा निगम द्वारा औपचारिक रुप से शुरु कर दी थी। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
23.	**पैरा 23:** सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका से संबंधित सभी मौजूदा विधान और सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के अधीन एक कार्यदल गठित करेगी।	उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में महिलाओं और बच्चों पर एक कार्यदल गठित किया गया है।
24.	**पैरा 27:** ऋणाधार जमानत उपलब्ध कराने की आवश्यकता बहुत छोटी इकाइयों के लिए बैंक ऋण की प्राप्ति में एक प्रमुख अड़चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 1 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए ऋणाधार अपेक्षा को समाप्त करने के अनुदेश जारी किए हैं। लघु क्षेत्रक के लिए सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा रही है।	भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 3 मार्च, 2000 के पत्र द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 25,000 रुपए, 1 लाख रुपए और 5 लाख रुपए तक के ऋणों पर आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तिमाही आधार पर अलग-अलग एकत्रित किए जाएंगे। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
25.	**पैरा 27:** छोटे उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए "सिडबी" और बैंकों की संयुक्त ऋण योजना के अधीन संयुक्त ऋण की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जाएगी।	भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में अपने दिनांक 3-3-2000 के पत्र द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं। पुनर्वित/प्रत्यक्ष वित्त से "सिडबी" द्वारा और बैंकों द्वारा पांच लाख रुपए, दस लाख रुपए तक के संयुक्त ऋणों का अलग-अलग आंकड़ा

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		तिमाही आधार पर एकत्रित किया जाएगा। तत्पश्चात मंत्री समूह के निर्णय के आधार पर संयुक्त ऋण की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 10-10-2000 के परिपत्र द्वारा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
26.	**पैरा 27:** सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह सुनिशिचत करने के लिए कि प्रत्येक जिला और जिले के भीतर लघु उद्योग समूहों की सेवा कम से कम तक विशेष लघु उद्योग बैंक शाखा द्वारा की जाती है, लघु उद्योग शाखाएं खोलने के अपनें कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए कहा जाएगा।	भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 3 मार्च, 2000 के पत्र द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को दिनांक 31-12-2000 तक प्रत्येक जिले और लघु उद्योग समूहों में एक विशिष्ट लघु उद्योग शाखा खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को विशेष लक्ष्य आवंटित करने के लिए कहा गया है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
27.	**पैरा 27:** बैंकिग सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए लघु उद्योग शाखाओं को आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा।	भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 3 मार्च, 2000 के पत्र द्वारा लघु उद्योग शाखाओं के संबंध में आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लिखा है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
28.	**पैरा 27:** लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना, जिसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, "सिडबी" के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी और बैंकिंग क्षेत्र से 10 लाख रुपए तक के ऋण को शामिल करेगी। गारंटीशुदा ऋण को प्रतिभूतिकृत किया जाएगा और यह गौण ऋण बाजार में व्यापार योग्य होगा।	यह योजना अगस्त, 2000 में प्रारंभ की गई है। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
29.	**पैरा 28 :** सिडबी राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम चलाता है जिसके तहत 15 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए इक्विटी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लघु उद्योग उद्यमियों की और सहायता करने के लिए परियोजना सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी।	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के तहत लघु क्षेत्र के उद्योगों के उद्यमियों को इक्विटी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार के अंशदान की वचनबद्धता हेतु इक्विटी सहायता की राशि बढ़ाकर 5 लाख करना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सभी प्रमुख ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई) को 19-5-2000 को परिपत्र जारी कर दिए हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
30.	**पैरा 29 :** "सिडबी" इस समय लघु उद्योग इकाइयों के प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास आधुनिकीकरण निधि स्कीम चला रहा है। इस स्कीम का प्रचालन और 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है।	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूचित किया है कि प्रौद्योगिकी विकास आधुनिकीकरण निधि योजना और तीन वर्षों के लिए बढ़ा दी गई हैं। **कार्रवाई पूरी हो गई है।**

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
31.	**पैरा 30 :** विपणन प्रयासों में तेजी लाने के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने उत्पादों के लिए एक समान ब्रांड नाम शुरू करेगा और घरेलू तथा निर्यात विपणन के लिए व्यावसायिक रूप से प्रबंधित विपणन कम्पनी की स्थापना भी करेगा।	जहां तक ब्राण्ड नाम को बढ़ावा देने का प्रश्न है खादी ग्रामोद्योग आयोग ने खादी और ग्रामीण उद्योग उत्पादों के लिए "खादी" और "सर्वोदय" नामक दो नए ब्राण्ड नाम शुरु किए हैं। जहा तक घरेलू और निर्यात विपणन के लिए व्यावसायिक रुप से प्रबंधित विपणन कंपनी स्थावित करने का प्रश्न है, इस प्रस्ताव की जांच की जा रही हैं।
32.	**पैरा 32 :** ज्ञान आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उपक्रम पूंजी निधियों के लिए कर-प्रणाली उदार बनाई गई है। "सेबी" देशी और विदेशी उद्यम पूंजी निधियां दोनों के पंजीकरण और विनियमन के लिए एकल स्थानिक नोडल एजेन्सी होगा।	**कार्रवाई पूरी हो गई है।**
33.	**पैरा 33 :** स्टाक एक्सचेंजों की निवेशक सुरक्षा निधियों के लिए 100 प्रतिशत आयकर छूट।	**कार्रवाई पूरी हो गई है।**
34.	**पैरा 34 :** मेरी योजना विदेशों में कम्पनियों के अधिग्रहण सम्बन्धी नीति को पुनः उदार बनाने की है ताकि भारतीय कम्पनियां ज्ञान आधारित क्षेत्रकों में और तेजी से आगे बढ़ सके और भारतीय बहुराष्ट्रिक ऐसे क्षेत्रों में अपनी बुनियाद रख सकें जों आर्थिक रूप से हमारे लिये अधिक लाभकारी हों। अन्य क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए भी मैं भारतीय कम्पनियों के लिए स्वतः मार्ग के अन्तर्गत मौजूदा 15 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा को बढ़ाकर 50 मिलियन अमरीकी डालर करने का प्रस्ताव करता हूं तथा इससे आगे यह अधिग्रहण विदेशी निवेश समिति की स्वीकृति से किया जाएगा।	मार्गनिर्देशंकों घोषणा करते हुए 23-3-2000 को एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। **कार्रवाई पूरी हो गई हैं।** 7 अप्रैल, 2000 की राजपत्रित अधिसूचना के द्वारा विदेशी निवेश मार्गनिर्देशों को संशोधित किया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय कंपनियों के लिए स्वतः मार्ग के अधीन अधिकतम सीमा वर्तमान 15 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 50 मिलियन अमरीकी डालर कर दी गई है और इससे आगे विदेशी निवेश समिति का अनुमोदन प्राप्त करके सीमा बढ़ाई जाएगी।
35.	**पैरा 35 :** विशेष खरीद के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कुल पोर्टफोलियो निवेश की सीमा को वर्तमान 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना।	धोषणा लागू करने के लिए आवश्यक प्रेस नोट दिनांक 1.3.2000 को जारी कर दिया गया है । **कार्रवाई पूरी हो गई है।**
36.	**पैरा 38 :** पेटेन्ट कार्यालय और ट्रेड मार्क रजिस्टर के आधुनिकीकरण का कार्य काफी लम्बे समय से प्रतीक्षित है। सरकार ने पेटेन्ट कार्यालय के लिए 75 करोड़ रुपए की आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दी है और हमारा प्रयास रहेगा कि इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्यवन की दिशा में सभी अड़चनों को दूर किया जाए।	सरकार ने कोलकाता (मुख्यालय), चेन्नई, दिल्ली और मुबंई में स्थित पेटेंट कार्यालयों का 75.59 करोड़ रुपए भी लागत से आधुनिकीकरण करने के लिए एक योजना अनुमोदित की है। कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण पेटेंट आवेदनों के ढ़ेर का निपटारा नामक गतिविधि को नवबंर 1999 में शुरू किया गया और कोलकाता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने एक अपील भी दर्ज की थी। ढ़ेर के निपटारे की गतिविधियां शुरू करने की औपचारिकताओं के संबंध में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मिशन से परामर्श किया जा रहा है।

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		सरकार ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ट्रेड मार्क रजिस्टरी के आधारभूत ढ़ांचे के सुदृढ़ीकरण की परियोजना अनुमोदित करते हुए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस परियोजना का प्रमुख संघटक, जो इसकी मुख्य विशेषता है, ट्रेड मार्क रजिस्ट्री में आवेदनों के ढ़ेर के परिसमापन से संबंधित है जिसका नोवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक परिसमापन निर्धारित था। अनुवर्ती कारवाई प्रगति पर है।
37.	**पैरा 39 :** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तया मानदंड पूरा करने और बैंकों को उनकी गतिविधियों में विस्तार करने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्र के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की न्यूनतम शेयरधारिता कम करके 33 प्रतिशत करने की नरसिम्हन समिति की सिफारिशें स्वीकार करने का निर्णय लिया है। यह प्रस्तावित है कि विधायी उपबंधों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं ताकि आवश्यक नम्यता और बैंकों के बोर्डों में स्वायत्तता लाई जा सके।	बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970/1980 में संशोधनों के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया है।
38.	**पैरा 40 :** सरकारी क्षेत्रक के कमजोर बैंकों के पुनर्गठन सम्बन्धी कार्य दल ने एक वित्तीय पुनर्गठन प्राधिकरण (एफ.आर.ए.) के गठन का सुझाव दिया था। यह निर्णय किया गया है कि एफ आर ए का एक संशोधित रूप तैयार किया जाए। अतः किसी भी बैंक के सम्बन्ध में, जिसे कमजोर या सम्भाव्य रूप से कमजोर समझा जाता है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सिफारिशों के आधार पर निदेशक मण्डल को बरखास्त करने और ऐसे बैंक के लिए विशेषज्ञों और व्यावसायिकों को मिलाकर एक एफ आर ए के गठन की व्यवस्था की जा सके। इन संशोधनों से एफ आर ए बैंक के बोर्ड के सभी अधिकारों सहित विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा।	संसद में विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है।
39.	**पैरा 41 :** सरकार किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक को बन्द नहीं करेगी। बैंकों के एक जिम्मेदार स्वामी की हैसियत से सरकार ने निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए कमजोर बैंकों के पुनःपूंजीकरण पर विचार करने का निर्णय किया है, बशर्ते कि सम्बन्धित बैंकों द्वारा स्वामी के रूप में सरकार को और विनियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को स्वीकार्य एक व्यवहार्य पुनर्गठन कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाए।	तीन कमजोर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सरकार को अपनी पुनर्गठन संबंधी योजनाएं भेजी हैं। पुनर्गठन योजनाओं की जांच और सहायता की प्रकृति व मात्रा के संबंध में सिफारिशें देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर की अध्यक्षता में चार सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इसकी जांच चल रही है।
40.	**पैरा 42 :** सरकार शीघ्र निर्णय और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के देयों की वसूली सुविधाजनक बनाने के लिए मुंबई में चार और ऋण वसूली न्यायाधिकरण तथा कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई प्रत्येक में एक और ऋण वसूली न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव करती है।	ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम में संशोधनों से संबंधित अध्यादेश को पहले ही अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। पहले यह निर्णय लिया गया था कि मुंबई में चार नए ऋण वसूली न्यायाधिकरण और औरंगाबाद तथा नागपुर प्रत्येक में एक ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		की जा सके। इसके अतिरिक्त, तीन और ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, प्रत्येक में एक की स्थापना भी की जा रही है। सभी नए ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों का चयन कर लिया गया है और उन्हें प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। सभी सातों ऋण वसूली न्यायाधिकरण, ज्योंहि कार्य ग्रहण कर लेंगे, तो अधिसूचित कर दिए जाएंगे।
41.	**पैरा 43 :** उधारकर्त्ताओं के बारे में उधार से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान के लिए औपचारिकताओं के अध्ययन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना की जाएगी।	एचडीएफसी, डन और ब्रेडस्ट्रीट एंड ट्रांसयूनियन के सहयोग से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संयुक्त उपक्रम की कंपनी गठित कर दी गई है जो ब्यूरो चलाएगी। सहायक विधान का मसौदा तैयार किया जा रहा है और इसके संसद के मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
42.	**पैरा 44 :** आधुनिक वित्तपोषण की तेजी से बदलती दुनियां में मौद्रिक नीति के संचालन और वित्तीय प्रणाली के विनियमन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक प्रचालनात्मक लचीलापन प्रदान करना आवश्यक हो गया है। तदनुसार संगत मौजूदा विधानों को संशोधित करने के लिए संसद में प्रस्ताव लाए जाएंगे।	बैंकिंग विनियमन अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव भिजवाएं हैं। इनकी जांच की जा रही है।
43.	**पैरा 45:** सरकारी ऋण बाजार का विकास सुविधाजनक बनाने के लिए विधायी ढांचे को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, जो पुराने लोक ऋण अधिनियम, 1944 को प्रतिस्थापित करेगा के माध्यम से सुदृढ़ और आधुनिकीकृत करने की आवश्यकता है।	लोक ऋण (जैसा कि केंद्र और राज्यों, दोनों पर लागू है) विषय पर विधान बनाने की शक्ति संसद को देने के लिए राज्य सरकारों को उनके विधान मंडल संकल्प पारित करके सहमति लेने के लिए अगस्त 1998 में मंत्रिमंडल ने यह प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया था। तदनुसार, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि अपेक्षित संकल्प पारित करें। 23 राज्यों ने इसे पारित कर दिया है और इस विषय पर शेष राज्यों से पालन कराया जा रहा है।
44.	**पैरा 46:** भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक एकमात्र कलकत्ता-स्थित विकास वित्तीय संस्था है। इसे अपना कारोबार विविधीकृत और विस्तारित करके अपनी व्यवहार्यता और लाभदायकता में सुधार करने योग्य बनाने के लिए सरकार कंपनी की तरजीही-पूंजी में अभिदान करेगी।	यह मामला व्यय विभाग के समीक्षाधीन है।
45.	**पैरा 47:** पिछले 3 वर्षों से भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि केवल वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुचालित एन.बी.एफ.सी. को ही लोक जमा स्वीकार करने की अनुमति दी जाय, इस क्षेत्र के विनियमन को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं। एक नया विधेयक लाने का प्रस्ताव है जो एन.बी.एफ.सी. के दोषपूर्ण अथवा धोखाधड़ी पूर्ण कार्रवाईयों की स्थिति में जमाकर्ताओं का हाथ मजबूत करेगा।	भारत सरकार 100 करोड़ रुपए की तरजीही पूंजी का भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक में अभिदान कर रही है। संशोधित अनुमान में यह राशि अनुमोदित कर दी गई है।
46.	**पैरा 48:** हमारी अर्थव्यवस्था के तीव्र और सतत विकास में	बंगलौर, गोवा, हैदराबाद, गुवाहाटी, अमृतसर, अहमदाबाद

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	आधारभूत सेवाएं मुख्य अड़चन बनी हुई हैं। हम आगामी वर्ष के दौरान दूरसंचार, पत्तन और विमानपत्तन के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के सेवा प्रदायकों के निगमीकरण के कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेंगे।	के हवाई अड्डों और नेदुमबासारी स्थित नये कोचीन हवाई अड्डे को दिनांक 23.5.2000 की अधिसूचना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में घोषित कर दिया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड दिनांक 1.10.2000 से पहले ही अस्तित्व में आ चुका है। प्रमुख पत्तनों के चरणबद्ध निगमीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के उपाय किए गए हैं। हाल ही में चेन्नई के पास इन्नोर में शुरु हुए नए मुख्य पत्तन को निगमित कर दिया गया है।
47.	**पैरा 49:** प्रधानमंत्री जी ने सड़क विकास के लिए एक बड़ी पहल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) की घोषणा की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 54,000 करोड़ रुपए है। अपने पिछले बजट प्रस्तुत करते समय मैंने पेट्रोल और डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर का उपकर लगाने की घोषणा की थी और इसका काफी बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के निधिकरण के लिए उपलब्ध होना अनुमानित है। परियोजना के वाणिज्यिक रूप से सक्षम घटकों के लिये संसाधनों को और बढ़ाने हेतु मुझे अपने भाषण के भाग "ख" में कुछ और अधिक कहना है।	केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 पहले ही लागू हो गया है।
	पैरा 142: आधारभूत सुविधा के विकास हेतु और अधिक प्रोत्साहन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए मौजूदा 54ङ क और 54 ङ ख उपबंधों को हटाना और उनके स्थान पर नए उपबंध का प्रावधान करना होगा जिसके द्वारा पूंजीगत लाभों से प्राप्त कर रियायत तभी उपलब्ध होगी जब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा जारी किए गए बॉंडों में निवेश किया गया हो। इन बॉंडों की लॉक-इन अवधि पांच वर्षों की होगी और उनसे प्राप्त राशि का उपयोग कृषि के वित्त पोषण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) के लिए किया जाएगा।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निर्गम 500 करोड़ रुपए में अभिदत्त हो चुका है और यह निर्गम 5 अक्तूबर, 2000 को बंद कर दिया गया था। नाबार्ड ने यह बांड निर्गम 28 सितंबर, 2000 को जारी किया था और आशा है कि इससे 31 मार्च 2001 तक 1000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकेंगे।
48.	**पैरा 50:** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए विद्युत क्षेत्र में आयोजना परिव्यय 7,626 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,194 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य उत्पादक कंपनियों द्वारा उच्च प्राथमिकता परियोजनाएं शुरू करने के लिए विद्युत वित्त निगम से ऋणों पर ब्याज की आर्थिक सहायता देने के लिए 300 करोड़ रुपए का एक प्रावधान भी तैयार किया गया है।	टिहरी जल विद्युत परियोजना टी एच डी सी - भारत सरकार और उत्तरप्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम द्वारा 3:1 के अनुपात में इक्विटी सहित निष्पादित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश (एच पी) में नाथपा झाकरी जल-विद्युत परियोजना। एन जे पी सी, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के एक संयुक्त उद्यम, द्वारा निष्पादित की जा रही है। निर्माण गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही है।

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		विनिर्दिष्ट योजनाओं के लिए विद्युत वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी देने के लिए त्वरित प्रजनन और आपूर्ति कार्यक्रम के लिए विद्युत मंत्रालय के बजट में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार ने नौंवी योजना के अंत तक इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव पहले ही अनुमोदित कर दिया है।
49.	**पैरा 51:** विद्युत क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए और पुराने तथा अक्षम संयंत्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर निवेश करने के लिए और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए, राज्य उपयोगिताओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के अधीन 1,000 करोड़ रुपए की केन्द्रीय आयोजना सहायता राज्य और संघशासित क्षेत्रों की सरकारों को प्रदान की जाएगी।	त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के लिए यह योजना सरकार द्वारा 30.11.2000 को अनुमोदित कर दी गई है। कार्यान्वयन शुरू हो गया है।
50.	**पैरा 52:** राज्य प्रतिभूति बोर्ड और कोयला उपयोगिताओं के अतिदेयों के प्रतिभूतिकरण के लिए केन्द्रीय सरकारी समर्थन राज्य विद्युत बोर्ड के प्रचालन में सुधारों से जोड़ा जाएगा।	विद्युत मंत्रालय प्रतिभूतिकरण की योजना को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में रत है।
51.	**पैरा 53:** सरकार ने विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन और 4.8 करोड़ रुपए की कुल लागत पर सेतु समुद्रम शिप कनाल परियोजना के पर्यावरणात्मक प्रभाव निर्धारण की वचनबद्धता का अनुमोदन कर दिया है। बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है।	यह प्रस्ताव सक्रिय रुप से विचाराधीन है।
52.	**पैरा 56:** सरकार उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जो रूग्ण हैं और पुनरूद्धार किए जाने के योग्य नहीं है, की परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के विरूद्ध बाजार से संसाधन जुटाने के लिए तंत्रों को सही स्थान इन निधियों का प्रयोग पर रखेगी। सरकार इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों और कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए करेगी।	इस संबंध में कार्रवाई शुरु कर दी गई है।
53.	**पैरा 57:** सभी नीति भिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी को 26% तक अथवा कम घटाया जाएगा और कामगारों के हितों का पूर्णतः संरक्षण किया जाएगा।	सरकार ने 30 से अधिक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश करने का निर्णय लिया है और विनिवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है।
54.	**पैरा 58:** आधारभूत संरचना, विशेष रूप से हवाई अड्डों, रेलवे, विद्युत और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि उत्तर-पूर्व के बहुत से भागों में महसूस की गई पृथक्करण की भावना को दूर किया जा सके।	**नागर विमानन:** उत्तर पूर्वी परिषद (एन ई सी) के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता-ज्ञापन के अनुसार, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 557.83 करोड़ रुपए है। **विद्युत:** राज्य सरकारों के साथ परस्पर क्रिया के बाद नौंवीं,

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		दसवीं और ग्यारहवीं योजना अवधि और उससे बाहर की केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में क्षमता परिवर्धन की गुंजाइश का कार्यान्वयन के लिए पता लगाया गया है। **रेलवेः** जोगीघोपा-गुवाहाटी नई लाइन को पूरा कर लिया गया है और उसे शुरू कर दिया गया है। कुमार घाट अगरतला नई लाइन पर उच्च प्राथमिकता से कार्य चल रहा है। सिलीगुडी-नया बोंगाईगांव और लमडिंग सिलचर का गेज परिवर्तन का काम भी प्राथमिकता आधार पर चल रहा है। माकुम-डांगरी और अमगुडी-तुली का गेज परिवर्तन वर्ष 2001-2002 में पूरा कर लिया जाएगा। भैराभी-कथकल और सिलचर-जिरिबम के गेज परिवर्तन की मंजूरी दे दी गई है। नई मैनागुडी से जोगीघोपा तक नई लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है और कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बोगीभील में ब्रझपुत्र नदी पर नए पुल के लिए अन्तिम स्थान सर्वेक्षण के कार्य में बेहतर प्रगति हुई है और अपेक्षित क्लीयरेंस लेने के लिए अगली कार्रवाई, एक बार लागत निश्चित हो जाने पर और परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर की जाएगी। **सड़कः** 2508.00 करोड़ रुपए में से 250.80 करोड़ रुपए की राशि अर्थात कुल आयोजना आवंटन में से आयोजना-आवंटन का 10% उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास के लिए पहले ही तलचिह्नित कर दिया गया है।
55.	**पैरा 58 :** व्यावसायिक शिक्षा के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगले दो वर्षों में उत्तर-पूर्वी राज्यों में 50 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 446 कम्प्यूटर सूचना केन्द्र संस्थापित किए जाएंगे।	ग्यारहवें वित्त आयोग ने पूर्वात्तर राज्यों के पैकेज पर विचार किया और 22 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना व 35 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण/ आधुनिकिकरण को अनुमोदित किया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है। सात उत्तर-पूर्व राज्यों के सभी 486 ब्लॉक मुख्यालयों और सिक्किम में सामुदायिक सूचना केन्द्रों की स्थापना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक परियोजना प्रस्तुत की है। उत्तर-पूर्वी राज्यों के 30 ब्लॉकों और सिक्किम में कम्प्यूटर सूचना केन्द्रों की स्थापना के लिए कुछ स्थलों पर राज्य सरकार द्वारा चुनी गई बड़ी परियोजना अभी पूरी की गई है और कम्प्यूटर सूचना केन्द्र शुरु कर दिए गए हैं। योजना आयोग ने इस परियोजना के लिए 67 करोड़ रुपए की निधियां उपलब्ध कराने के लिए अनंतिम रुप से अपनी सहमति दे दी है। जिसे वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट प्रस्ताव तैयार करते समय उपलब्ध कराया जा सकता है।

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
56	**पैरा 59:** उत्तर-पूर्व में कृषि और बागान विकास की क्षमता का उपयोग करने के लिए लघु सिंचाई और बागवानी की योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन पर भी विचार किया जा रहा है।	योजना आयोग ने यह प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।
57.	**पैरा 69:** उर्वरक यूनिटों की अधिक कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2000-2001 से पूंजी संबंधित प्रभारों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सहित प्रतिधारण मूल्य स्कीम को कुछ युक्तिसंगत बनाने की योजना अमल में लाई जाएगी। रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय भी मध्यावधि में प्रतिधारण मूल्य स्कीम को क्रमबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए रुपरेखा प्रकाशित करेगा।	व्यय सुधार आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।
58.	**पैरा 159:** घरेलु कंपनियों द्वारा वितरित लाभांशों पर कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जाएगी।	**कार्रवाई पूरी कर ली गई है।**
59.	**पैरा 160:** ऋणोन्मुखी म्यूचुअल फंडों और यू. टी. आई. द्वारा वितरित आय पर कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जाएगी।	**कार्रवाई पूरी कर ली गई है।**
60.	**पैरा 162:** जीवन बीमा क्षेत्र के लिए कर की दर में संशोधन पर विचार करने के लिए और वर्ष के दौरान उसकी सिफारिशों के आधार पर आवश्यक संशोधन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी।	इस मामले की जांच करने के लिए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा अप्रैल, 2000 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो जांचाधीन है।